माननीय राजस्व मण्डल अधिकारी महोदय, मध्यप्रदेश ग्वालियर, सर्किट कोर्ट रीवा, जिला रीवा, (म.प्र.) निगरानी 727-III-15

Rs. 20/-

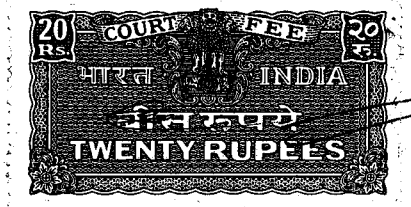

60
27.2.15

श्रीमती गौरी देवी पत्नी स्व. श्री कमला प्रसाद तिवारी, निवासी ग्राम खौर, तहसील हुजूर, जिला रीवा, (म.प्र.)

क्रमांक 4783 रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा आज दिनांक ...3.15 को प्राप्त
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

.... निगराकार

बनाम

1. रावेन्द्र पाठक तनय श्री रामनाथ पाठक,
2. धर्मेन्द्र पाठक, तनय श्री रामनाथ पाठक,
3. कृष्ण बिहारी श्रीवास्तव तनय स्व. जगदीश प्रसाद श्रीवास्तव,
4. शारदा प्रसाद श्रीवास्तव तनय स्व. रामकृपाल श्रीवास्तव,
5. बृजेन्द्रनाथ द्विवेदी तनय रामखेलावन द्विवेदी,

   सभी निवासी ग्राम खौर, तहसील हुजूर, जिला–रीवा (म.प्र.)
6. शासन मध्यप्रदेश।

.... गैर निगराकारगण

श्री अखिलेश सिंह तिवारी एड के द्वारा आज दिनांक 27-02-15 प्रस्तुत किया गया।
रीडर
सर्किट कोर्ट रीवा

पुनरीक्षण विरुद्ध आदेश दिनांक 16.01.2015, प्रकरण क्र. 560/अ–74/2006–07 न्यायालय अपर कलेक्टर रीवा, जिला रीवा, (म.प्र.)

पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा 50 मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 ईस्वीं।

मान्यवर,

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है :–

1. यह कि मूल भूमि खसरा क्र. 735 स्थित ग्राम खौर, पटवारी हल्का लक्ष्मणपुर, तहसील हुजूर, जिला रीवा, जिसमें कई बटा नम्बर कायम है,

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R-727/III/15 जिला रीवा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
29/9/15	प्रकरण में आवेदक अभि०-श्री अखिलेश सिंह तिवारी उपस्थित। उन्हें प्रकरण में ग्राह्यता पर सुना गया तथा धारा 52 स्थगन आवेदन पर सुना गया। आवेदक अभि० द्वारा अपने तर्कों में वही तर्क प्रस्तुत किये जो निगरानी मेमो में अंकित है निगरानी मेमो में अंकित तथ्यों के आधार पर निगरानी ग्राह्य करने एवं अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को स्थगित करने का निवेदन किया गया। आवेदक अभिभाषक के तर्कों एवं निगरानी मेमो में अंकित बिन्दुओं के प्रकाश में अपर कलेक्टर द्वारा जारी आदेश दिनांक-16-1-15 का अवलोकन किया गया, जिससे यह प्रकट हो रहा है कि तहसीलदार द्वारा बिना समस्त हितबद्ध भू-खण्डधारियों की सहमति के नक्शा तरमीम की कार्यवाही की गई है, जिसे अपर कलेक्टर द्वारा निरस्त किया जाकर प्रकरण प्रत्यावर्तित किया गया है जिसमें मौके की स्थिति के अनुसार प्रश्नाधीन भूमियों के समस्त भू-धारियों को सूचना दी जाकर मौके की स्थिति के अनुसार विवादित भूमि क्रमांक 735 के सभी उपखण्डों के नक्शा तरमीम के आदेश दिये गये है जिसके अनुसार अधीनस्थ तहसीलदार को नक्शा तरमीम की कार्यवाही संपादित करने हेतु प्रकरण अपर कलेक्टर द्वारा प्रकरण प्रत्यावर्तित है उपरोक्त स्थिति में अपर कलेक्टर के आदेश	

[कृ. प. उ.

R. 727/IV/15

गौरी — राजेन्द्र पाठक — देवा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	मे किसी प्रकार की त्रुटि नहीं है जिसमे किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। उपरोक्तानुसार प्रकरण मे ग्राह्यता का समुचित आधार न होने से प्रकरण अग्राह्य किया जाता है। पक्षकार सूचित हों। प्रकरण दा०रि० हो। सदस्य	

शाक्षेमुग्वा—714—असराममप्रग्वा—29-2-2012—15,000.